छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

– – –

// संशोधित आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/03/2025

क्रमांक :1299/1978/2019/पचास : : विभागीय आदेश क्रमांक 552/1978/2019/पचास दिनांक 30.01.2025 द्वारा कोर्ट केस मानिटरिंग सिस्टम (CCMS) लीगल साफ्टवेयर के सुचारू संचालन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रकरणों हेतु डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

2/ वर्तमान में विभागीय कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नामांकित अधिकारी के स्थान पर संशोधित कर राज्य शासन एतद्द्वारा **श्री सुरेश सिंह**, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला–बिलासपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त करता है।

3/ उपरोक्त नामांकित नोडल अधिकारी का मोबाईल नं. **88890–30001** तथा ई–मेल आई.डी./एड्रेस– bila.wcd-cg@nic.in है।

2/ विभाग से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों को ऑनलाईन अपडेशन हेतु निर्धारित समयावधि में नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

(सुभाष चंद्र कुजूर) 26/03/2025
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
अटल नगर, दिनांक 26/03/.2025

पृष्ठां. क्रमांक :1300/1978/2019/पचास,

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय,
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
3. महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
4. संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नवा रायपुर,
5. डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, ।
6. **श्री सुरेश सिंह**, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला–बिलासपुर, नवा रायपुर अटल नगर की ओर पालनार्थ।
7. नोडल अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास, जिला–बिलासपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव 26/03/2025
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with CamScanner